रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082025-265537
CG-DL-E-20082025-265537

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3694] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2025/श्रावण 28, 1947
No. 3694] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2025/SHRAVANA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

का.आ. 3798(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना **संख्या का.आ.** 3571(**अ**) **तारीख** 22/08/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के धौलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 719डी (6 लेन आगरा - ग्वालियर ग्रीन फील्ड हाइवे) के कि.मी. 20.140 से कि.मी.46.885 (राजाखेड़ा तहसील,धोलपुर)तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन / 6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "06.09.2024 " को "**राजस्थान पत्रिका**" और "**टाइम्स ऑफ इंडिया**" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के धौलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 719डी (6 लेन आगरा - ग्वालियर ग्रीन फील्ड हाइवे) के कि.मी. 20.140 से कि.मी. 46.885 (राजाखेड़ा तहसील,धोलपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: धौलपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: राजाखेड़ा					
गांव का नाम: ढ़ौंडिकापुरा					
1	1189	निजी	बारानी चतुर्थ	0.0674	किरोडी पुत्र रामनाथ हिस्सा- 1/21 , चित्रसिंह पुत्र बच्चू हिस्सा- 1/3, दूशासन पुत्र रामनाथ हिस्सा- 1/21 , नहनी पत्नि रामजीलाल हिस्सा- 1/21, पतूरा पत्नि रामनाथ हिस्सा- 1/21, पूरनसिह पुत्र रामनाथ हिस्सा- 1/21, भूरी पुत्री रामजीलाल हिस्सा- 1/21, मूंगाराम पुत्र रामजीलाल हिस्सा- 1/21, राजू पुत्र रामजीलाल हिस्सा- 1/21, राजनदेई पुत्री रामजीलाल हिस्सा- 1/21, राजवती पुत्री रामनाथ हिस्सा- 1/21, राहुल पुत्र रामजीलाल हिस्सा- 1/21, रिंन्की पुत्री रामजीलाल हिस्सा- 1/21, सूखीदेवी पुत्री रामनाथ हिस्सा- 1/21, हरदेई पुत्री रामनाथ हिस्सा- 1/21

					1189
2	1191	निजी	बारानी सोयम	0.2843	कंचनसिह पुत्र ठाकुरदास हिस्सा- 1/2, मानिकचंद पुत्र खदरिया हिस्सा- 1/2 1191
			Total	0.3517	

[फा. सं NHAI/PIU-GWL/Agra-Gwl-Section/2023-24/001/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2025

S.O. 3798(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 3571(E) Dated:22/08/2024 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning/6 laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 719D (6 lane Agra-Gwalior Greenfield Highway) in the stretch of land from Km. 20.140 to Km. 46.885 (Rajakhera Tehsil, Dholpur) in the district of DHOLPUR in the state of RAJASTHAN.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rajasthan Patrika” and “Times of India” both dated 06.09.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 719D (6 lane Agra-Gwalior Greenfield Highway) in the stretch of land from Km. 20.140 to Km. 46.885 (Rajakhera Tehsil,Dholpur) in the district of DHOLPUR in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN			**District: DHOLPUR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Rajakhera					
Village: Dhodi ka Pura					
1	1189	Private	Barani Chaturth	0.0674	Kirodi son of Ramnath share- 1/21,

					Chitrasingh son of Bachchu share- 1/3, Dushasan son of Ramnath share- 1/21, Nahani wife of Ramjilal share- 1/21, Patura wife of Ramnath share- 1/21, Puransingh son of Ramnath share- 1/21, Bhuri daughter of Ramjilal share- 1/21, Mungaram son of Ramjilal share- 1/21, Raju son of Ramjilal share- 1/21, Rajandei daughter of Ramjilal share- 1/21, Rajwati daughter of Ramnath share- 1/21, Rahul son of Ramjilal share- 1/21, Rinki daughter of Ramjilal share- 1/21, Sukhidevi D/o Ramnath share- 1/21, Hardei D/o Ramnath share- 1/21 1189
2	1191	Private	Barani Soyam	0.2843	Kanchan Singh son of Thakurdas share- 1/2, Manikchand son of Khadaria share- 1/2 1191
			Total	**0.3517**	

[F. No. NHAI/PIU-GWL/Agra-Gwl-Section/2023-24/001/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.20 12:07:56 +05'30'